

08.11.2021

वकील प्रार्थी उप0/प्रार्थना पत्र कार्यालय की रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की एक पक्षीये बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करने एवं एक पक्षीये बहस सुनने से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का सन्तूलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अपूर्णिय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा विरुद्ध अप्रार्थीगण के दिनांक 28.12.2021 तक इस कदर जारी की जाती है कि वे हाल आराजी खसरा नम्बर 566/0.13, 559/0.66, हैक्टियर वाके मौजा खेडा तहसील बानसूर जिला अलवर राज. के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज पंजीका हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड एडी के नोटिस जारी हो। पत्रावली बाद तामील होकर दिनांक 28.12.2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
बानसूर (बबवर)

9 11/21

आज यह पत्रावली तलब कर प्रशासन गांवों के संग अभियान/कैम्प कोट... में पेश की गई। पक्षकारन/वकुलाय अनुपस्थित रहे। पत्रावली आगामी दिनांक को पेश हो।

16/11/21 वकील वही उप0 पत्रावली वाके दिनांक 11/11/21 को पेश हो।
11/11/21 वकील वही उप0 पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 11/11/21 को पेश हो।
अजीत सिंह
16/11/21 वकील वही उप0 सभी वकील द्वारा निवेदन किया गया की उक्त वाद को हम आगे नहीं चलायना चाहते हैं वाद को नोटिस में प्रवेश किया जाये वही वकील की पत्रावली स्वीकार की जाये आदेश की उक्त

काद लेने मोट प्रेम मे धारीक विषय लखा ह्ये
पचावली जेवना शुभार होकर म्ब से लम हो
काद पूर्ति सखिण कला हो

सहायक कलक्टर
बानपुर (बबबर)

मिने लमकर प्रेम लमके लमकर प्रेम लमके
..... इति लमके लमके लमके
लमके लमके लमके लमके लमके
लमके लमके लमके लमके लमके
लमके लमके लमके लमके लमके